

सं: आईएफसीआई/आरटीआई/1461/2026-

दिनांक: 15 जनवरी 2026

To,

श्री

महोदय,

विषय: आरटीआई आवेदन दिनांक 01/01/2026 (05/01/2026 को प्राप्त) - आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी-आईएफसीआई लिमिटेड की ओर से आरटीआई आवेदन पर प्रतिक्रिया।

कृपया अधिनियम के प्रावधानों के तहत जानकारी मांगने वाले अपने उपरोक्त आरटीआई आवेदन का संदर्भ लें। Please refer to your above RTI Application seeking information under the provisions of the act.

2. इस संबंध में, आवेदन प्राप्ति के पश्चात उसे संबंधित विभाग को भेज दिया गया तथा उक्त विभाग द्वारा दी गई टिप्पणियों/सूचना के अनुसार, प्रश्नों के उत्तर निम्नानुसार हैं। In this regard, the application pursuant to its receipt was forwarded to the department concerned and as per the comments/information provided by the said department, the query wise response is as under:-

- I. आवेदन के प्रश्न संख्या (i) से (v) और (ix) के उत्तर में, कृपया ध्यान दें कि भारत सरकार की कंपनी, आईएफसीआई लिमिटेड, औषधि विभाग (डीपीआई) द्वारा संचालित पीएलआई बल्क ड्रग्स योजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में कार्य कर रही है और वर्तमान आवेदन की प्राप्ति के बाद, वांछित योजना से संबंधित सभी उपलब्ध अभिलेखों की जाँच की गई, लेकिन आपके द्वारा मांगी गई कोई भी जानकारी हमारे अभिलेखों से प्राप्त नहीं की जा सकी और इसलिए हमारी ओर से इस जानकारी को "शून्य" माना जाए। In response to query no. (i) to (v) and (ix) of the application, please note that IFCI Limited, A Govt. of India Company is acting as Project Management Agency (PMA) for the PLI Bulk Drugs Scheme by the Department of Pharmaceuticals (DPI) and pursuant to the receipt of the present application, all the available records w.r.t. desired scheme were checked but no such information as sought by you, could be retrieved from our records and as such the information may be treated as "NIL" from our side.
- II. आपके आवेदन के प्रश्न संख्या (vi) से (viii) के उत्तर में, फार्मास्युटिकल विभाग (DPI) द्वारा नियुक्त PLI बल्क ड्रग्स योजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) के रूप में IFCI लिमिटेड, DPI की ओर से योजना से संबंधित सभी जानकारी को ट्रस्ट में रखती है। चूंकि इस जानकारी का स्वामित्व और अभिरक्षा पूर्णतः DPI के पास है, इसलिए IFCI उक्त जानकारी का खुलासा करने की स्थिति में नहीं है और अतः सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(e) के तहत इसे अस्वीकार किया जाता है। आप इस संबंध में सीधे DPI से संपर्क कर सकते हैं।

आई एफ सी आई लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:

आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110 019

दूरभाष: +91-11-4173 2000, 4179 2800

फैक्स: +91-11-2623 0201, 2648 8471

वेबसाइट: www.ifcilt.com

सीआईएन: L74899DL1993GOI053677

IFCI Limited

Regd. Office:

IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi - 110 019

Phone: +91-4173 2000, 4179 2800

Fax: +91-11-2623 0201, 2648 8471

Website: www.ifcilt.com

CIN: L74899DL1993GOI053677

व:

Varinder Malik / वरिंदर मलिक
Central Public Information Officer
(केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी)
IFCI Ltd. / आईएफसीआई लिमिटेड
New Delhi / (नई दिल्ली)

In response to query numbers (vi) to (viii) of your application, IFCI Limited, as the Project Management Agency (PMA) for the PLI Bulk Drugs Scheme appointed by the Department of Pharmaceuticals (DPI), holds all scheme related information in trust on behalf of DPI. Since the ownership and custody of this information rests solely with DPI, IFCI is not in a position to disclose the said information and as such the same is denied under Section 8(1)(e) of the RTI Act, 2005. You may approach DPI directly in this regard.

3. यदि आप प्रदान की गई जानकारी के संबंध में अपील करना चाहते हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर नीचे दिए गए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं।

श्री विजय कुमार गोयल, एफएए एवं निदेशक – विधि, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली.

Varinder Malik / वरिंदर मलिक
Central Public Information Officer
(केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी)
(IFCI Ltd. / आईएफसीआई.लि.)
New Delhi / (नई दिल्ली)